



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15092026-276196
CG-DL-E-15092026-276196

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 557]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 14, 2026/भाद्र 23, 1948

No. 557]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 14, 2026/BHADRA 23, 1948

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

(भारतीय मानक ब्यूरो)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितम्बर 2026

फा. सं. बीएस/11/05/2018. — ब्यूरो, केंद्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 13 और धारा 14 के साथ पठित धारा 39 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो (हॉलमार्किंग) विनियम, 2018 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ — (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय मानक ब्यूरो (हॉलमार्किंग) संशोधन विनियम, 2026 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. भारतीय मानक ब्यूरो (हॉलमार्किंग) विनियम, 2018 में अनुसूची 4 के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची को रखा जाएगा, अर्थात्:-

“अनुसूची 4

(विनियम 10 का उप-विनियम (10) देखें)

हॉलमार्किंग शुल्क

1. (क) आभूषण विक्रेता द्वारा मान्यता प्राप्त असेयिंग एवं हॉलमार्किंग केंद्र को सोने की वस्तुओं के लिए दिया जाने वाला हॉलमार्किंग शुल्क:

- (i) प्रति वस्तु 75/- रूपए; और
- (ii) एक पारेषण के लिए न्यूनतम शुल्क 200/- रूपए

(ख) सोने की वस्तुओं के लिए एसेयिंग एवं हॉलमार्किंग केंद्र से ब्यूरो द्वारा वसूल किया जाने वाला हॉलमार्किंग शुल्क:

- (i) प्रति वस्तु 7.50/- रूपए; और
- (ii) एक पारेषण के लिए न्यूनतम शुल्क 20/- रूपए

2. (क) आभूषण विक्रेता द्वारा मान्यता प्राप्त असेयिंग और हॉलमार्किंग केंद्र को चांदी की वस्तुओं के लिए दिया जाने वाला हॉलमार्किंग शुल्क:

- (i) प्रति वस्तु 35/- रूपए; और
- (ii) एक पारेषण के लिए न्यूनतम शुल्क 150/- रूपए

(ख) चाँदी की वस्तुओं के लिए एसेयिंग एवं हॉलमार्किंग केंद्र से ब्यूरो द्वारा वसूल किया जाने वाला हॉलमार्किंग शुल्क:

- (i) प्रति वस्तु 3.50/- रूपए; और
- (ii) एक पारेषण के लिए न्यूनतम शुल्क 15/- रूपए

टिप्पण : उपरोक्त के अतिरिक्त प्रचलित दरों के अनुसार लागू कर लगाए जाएंगे।।

अलका, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./326/2026-27]

टिप्पण : मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में फा. सं. बीएस/11/05/2018, तारीख 14 जून, 2018 के अधीन प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात फा. सं. बीएस/11/05/2018, तारीख 12 अक्टूबर, 2018, फा.सं. बीएस/11/05/2018, तारीख 27 अक्टूबर, 2021 तथा फा. सं. BS/11/05/2018, तारीख 4 मार्च, 2022 द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department Of Consumer Affairs)

(BUREAU OF INDIAN STANDARDS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th September, 2026

F. No. BS/11/05/2018. - In exercise of the powers conferred by section 39 read with sections 13 and 14 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Bureau with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Bureau of Indian Standards (Hallmarking) Regulations, 2018, namely: -

1. **Short title and commencement.** – (1) These regulations may be called the Bureau of Indian Standards (Hallmarking) Amendment Regulations, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Bureau of Indian Standards (Hallmarking) Regulations, 2018, for Schedule IV, the following Schedule shall be substituted, namely:-

“Schedule IV
(Refer sub-regulation (10) of regulation 10)
Hallmarking Fee

1. (a) The Hallmarking fee for gold articles payable to recognised Assaying and Hallmarking Centres by jewellers shall be:

- (i) Rs. 75/- per article; and
- (ii) minimum fee for a consignment as Rs. 200/-.

(b) The Hallmarking fee to be levied by the Bureau from Assaying and Hallmarking Centre for gold articles shall be:

- (i) Rs. 7.5/- per article; and
- (ii) minimum fee for a consignment as Rs. 20/-.

2. (a) The Hallmarking fee for silver articles payable to recognised Assaying and Hallmarking Centres by jewellers shall be :

- (i) Rs. 35/- per article; and
- (ii) minimum fee for a consignment as Rs. 150/-.

(b) The Hallmarking fee to be levied by the Bureau from Assaying and Hallmarking Centre for silver articles shall be:

- (i) Rs. 3.5/- per article; and
- (ii) minimum fee for a consignment Rs. 15/-.

Note: Applicable taxes as per prevalent rates shall be levied in addition to the above.”.

ALKA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./326/2026-27]

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, *vide* F. No. BS/11/05/2018, dated the 14th June, 2018 and subsequently amended *vide* F. No. BS/11/05/2018, dated the 12th October, 2018, F. No. BS/11/05/2018, dated the 27th October, 2021 and F. No. BS/11/05/2018, dated the 4th March, 2022.